(b) if so, the facts and details of the case and the names of the officials interrogated for the purpose; and

(c) the estimated loss suffered by Doordarshan and steps taken to avoid recurrence of such incidents in future?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SMT. SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) The Central Bureau of Investigation (CBI) have collected some documents and records relating to the programmes produced by Ms New Delhi Television in connection with a regular case registered by them for investigation. Since the report has not yet been submitted by the CBI, disclosure of the names of the interrogated officials will not be in public interest and the loss of revenue, if any, can be estimated only after completion of the investigation.

Complaint!; of TV viewers of Thane District

696. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received a communication in October, 1997 complaining thai the TV viewers in Dombivali-Ambarnath Complex in Thane district cannot see TV programmes telecast from DD-I/DD-II.

(b) if so, the action taken by Government for redressal of grievances of these TV viewers;

(c) if no action has since been taken, the reasons therefor; and

(d) by when the corrective measures will be coinpleted?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SMT. SUSHMA SWARAJ): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Expansion of Doordarshan service is being carried out in a phased manner and extension of TV service to uncovered areas of the country including Dombivali-Ambarnath Complex would depend upon availability of resources, infrastructural facilities and interse priorities in the future expansion plans of Doordarshan.

आम चुनाव के समय गैर-पार्टी सरकार

697 **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**:
श्री वरजिन्दर सिंह :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह वताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया है कि देश में आम लोक-सभा के चुनाव के समय गैर-पार्टी सरकार का गठन किया जाए जिससे निष्पक्ष तथा संदेह रहित चुनाव कराने संभव हो सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर अब तक इस बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि अब तक अंतिम रूप से इस पर विचार नहिं किया जा सका तो सरकार द्वाड़ा इस संबंध मेम कब तक निर्णय लेने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता

उच्चतम न्यायालय की अतिरिक्त खंडपीठों की स्थापना

698. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या विधि और न्याय मंत्री यह वताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की राज्यों में उच्चतम न्यायालय कि अतिरिक्त खंडपीठों को स्थापित करने कि स्थायी नीति क्या है और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए है;

(ख) यदि हां, तो आज तक की स्थीति के अनुसार सरकार को किन-किन राज्यों में ऐसी अतिरिक्त खंडपीठो स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में सरकार ने राजकोट में उच्चतम न्यायालय की अतिरिक्त खंडपीठ स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और